महत्वपूर्ण/आवश्यक

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)
लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

Website-http://pwd.uk.gov.in E-Mail-budgethodpwd@gmail.com

पत्रांकः– 552/435 लेखा (पेंन्शन)/2018–19 दिनांकः– 14.09.2018

सेवा में,

समस्त मुख्य अभियन्ता,
क्षेत्रीय कार्यालय/राष्ट्रीय राजमार्ग/ए0डी0बी0,
लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड।

विषयः– सेवानिवृत्त/सेवारत अधिकारियों एवं कार्मिकों के पेंन्शन प्रकरण तथा वेतन निर्धारण की जॉच व परीक्षण के सम्बन्ध में।

संदर्भः– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 111 (1)/XXX (2)/2018–30(12)/2018 दिनांक 27.04.2018

महोदय,

उपर्युक्त विषयक क्रम में अवगत कराना है कि खण्डो/वृत्तीय/क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता कार्यालयों में सेवारत/सेवानिवृत्त अधिकारियो एवं कार्मिकों की सेवापुस्तिकायें आवश्यक सत्यापन एवं निर्धारित वेतन के जॉच व परीक्षण हेतु इस कार्यालय को प्राप्त हो रहे हैं, फील्ड अधिकारियो से प्राप्त सेवा पुस्तिकाओ की जॉच एवं परीक्षण किये जाने पर निम्नस्थितियॉ दृष्टिगत हो रही हैं, जो कि उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 27.04.2018 में निहित दिशा–निर्देशों के अनुरूप नही है।

खण्डीय कार्यालयो से प्राप्त होने वाले सेवा पुस्तिकाओ/प्रकरणो की जॉच व परीक्षण कार्य किये जाने पर यह दृष्टिगत हुआ है कि तदर्थ/दैनिक वेतन/कार्यप्रभारित के रूप में पूर्व में कार्यरत रहे कार्मिको को उनके तदर्थ/दैनिक वेतन की सेवा एवं कार्यप्रभारित सेवा के दौरान निरन्तर वार्षिक वेतनवृद्वियॉ अनुमन्य की गई हैं तथा कतिपय प्रकरणो में तदर्थ/दैनिक/कार्यप्रभारित के रूप में कार्मिको के द्वारा की गई पूर्व सेवा को सम्मिलित करते हुये उन्हें समयमान/प्रोन्नत वेतनमान एवं ए0सी0पी0 का लाभ भी अनुमन्य किया गया है, जो कि समयमान/प्रोन्नत वेतनमान की तत्कालीन प्राविधानो एवं ए0सी0पी0 के प्रचलित नियमो के अन्तर्गत सामान्यतः अनुमन्य नही है, अतः विषयक प्रकरण में निम्नवर्णित 02 अतिमहत्वपूर्ण बिन्दुओं/तथ्यों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है।

(1) अत्यन्त विचारणीय एवं अतिमहत्वपूर्ण है कि उपर्युक्त विषयक किसी विशेष प्रकरण में सम्बन्धित कार्मिको को तदर्थ/दैनिक/कार्यप्रभारित के रूप में उनके द्वारा की गई सेवा को जोड़े जाने अथवा सम्बन्धित सेवा के दौरान वार्षिक वेतनवृद्वि का लाभ अनुमन्य कराये जाने व कार्यप्रभारित अधिष्ठान में संहत वेतन की सीमा समाप्त किये जाने के आदेश यदि माननीय न्यायालयों/मा0 सेवाअभिकरण/मा0 आयोगों द्वारा पारित किये गये हों तो इसका स्पष्ट उल्लेख सम्बन्धित आहरण–वितरण अधिकारी/कार्यालयध्यक्ष के स्तर से सम्बन्धित कार्मिको की सेवापुस्तिका में अंकित किये जाने के साथ–साथ इस कार्यालय को प्रेषित **Covering Letter** में भी अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिये ताकि तद्नुसार आहरण–वितरण अधिकारी/कार्यालयध्यक्ष के स्तर से सम्बन्धित कार्मिक के निर्धारित वेतन तथा पूर्व सेवाओ के सापेक्ष प्रदत्त ए0सी0पी0 के लाभ की सही व वास्तविक गणना इस कार्यालय स्तर से की जा सके, किन्तु अधिकॉश प्रकरणो में माननीय न्यायालयो/मा0 सेवाअभिकरण/मा0 आयोगो द्वारा पारित निर्णयों के अनुपालन में कृत कार्यवाही का उल्लेख सम्बन्धित कार्मिको की सेवा पुस्तिकाओ में आहरण–वितरण अधिकारियों तथा कार्यालयध्यक्षो के स्तर से नही किया जा रहा है, और न ही जॉच व परीक्षण हेतु इस कार्यालय को प्रेषित किये गये प्रकरण के **Covering Letter** में, फलस्वरूप प्रकरण विशेष में मा0 न्यायालय/मा0 सेवाअभिकरण/मा0 आयोगो के द्वारा पारित निर्णयो की भिज्ञता इस कार्यालय को न होने तथा आवश्यक सूचना के अभाव में ऐसे प्रकरणो पर आहरण–वितरण अधिकारी/ कार्यालयध्यक्ष द्वारा कार्मिकों के किये गये वेतन का निर्धारण व प्रदत्त ए0सी0पी0 का लाभ त्रुटिजनक प्रतीत होना स्वाभाविक है।

14.9.2018 14.9.2018

क्रमशः पृष्ठ संख्या–2 पर

(2) लोक निर्माण विभाग में पूर्व वर्षो में कनिष्ठ अभियन्ता तथा सहायक अभियन्ता के पदो पर तदर्थ रूप से नियुक्त कार्मिको का विनियमितीकरण की तिथि का उल्लेख (आवश्यक कार्यालय ज्ञाप, लोक सेवा आयोग व शासन के पत्र का संदर्भ सहित) तथा कार्मिको के विनियमितीकरण सम्बन्धी भर्ती वर्ष (भर्ती वर्ष ....के दौरान रिक्त पद के सापेक्ष विनियमितीकरण) का स्पष्ट उल्लेख भी सम्बन्धित कार्मिको/अधिकारियो की सेवापुस्तिका में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाय, ताकि तद्नुसार सम्बन्धित कार्मिक/अधिकारियो के वेतन निर्धारण तथा पेंन्शन प्रकरण की जॉच व परीक्षण युक्तिसंगत रूप से किया जा सके।

अतः उक्त परिपेक्ष्य में स्पष्ट रूप से निर्देशित करना है कि सेवानिवृत्त/सेवारत अधिकारियो/कार्मिकों के वेतन निर्धारण, सेवा सत्यापन तथा पेंन्शन प्रकरण, जो कि वित्त नियंत्रक के जॉच व परीक्षण हेतु इस कार्यालय को प्रेषित किये जा रहे है, उपर्युक्त वर्णित दोनो तथ्यो का समावेश अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किये जाने हेतु अधीनस्थ आहरण–वितरण अधिकारियो/कार्यालयध्यक्षो (अधिशासी अभियन्ताओ व अधीक्षण अभियन्ताओ) को कड़े दिशा–निर्देश प्रदान किये जॉय तथा यह भी सूचित करा दिया जाय कि सम्बन्धित कार्यालयध्यक्षो/आहरण–वितरण अधिकारियो के स्तर से उपर्युक्त अपेक्षित सूचनायें (लागू होने की स्थिति में) सम्बन्धित कार्मिको की सेवापुस्तिका में स्पष्ट रूप से उल्लेखित न किये जाने अथवा विषयक प्रकरण विभागाध्यक्ष कार्यालय को प्रेषित करते समय इन तथ्यों का उल्लेख सम्बन्धित **Covering Letter** में न किये जाने पर यह मान लिया जायेगा कि सम्बन्धित प्रकरण, माननीय न्यायालय/माननीय सेवाअभिकरण/माननीय आयोगों द्वारा पारित आदेशो से आच्छादित नही हैं, जिनमें आवश्यक जॉच एवं परीक्षण की कार्यवाही विद्यमान सुसंगत नियमो के अन्तर्गत विभागाध्यक्ष कार्यालय स्तर पर कर लिया जायेगा जिसके उपरान्त माननीय न्यायालय/माननीय सेवाअभिकरण/माननीय आयोग के द्वारा पारित आदेशो की अवहेलना होने पर उत्पन्न प्रतिकूल स्थिति हेतु सम्बन्धित कार्यालयध्यक्ष/आहरण–वितरण अधिकारी स्वयं ही उत्तरदायी होगें।

(इं0 आर0सी0 पुरोहित)
प्रभारी प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं विषयक प्रकरण में उपरोक्तानुसार निहित दिशा–निर्देशों के अनुसार अपेक्षित कार्यवाही अनिवार्यतः सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रेषित।

(1) मुख्य अभियन्ता, (मुख्यालय) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(2) वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(3) वरिष्ठ स्टाफ आफिसर–I/II/III कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(4) आहरण–वितरण अधिकारी/स्टाफ आफिसर, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(5) अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0 सेल कार्या. प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष) लो.नि.वि. देहरादून को सूचनार्थ एवं विभागीय ऑनलाईन बेबसाईट में अपलोड कराये जाने हेतु प्रेषित।

(6) समस्त अधीक्षण अभियन्ता (आहरण वितरण अधिकारी/कार्यालयध्यक्ष), सिविल/वि0यॉ0/राष्ट्रीय राजमार्ग/ए0डी0बी0 वृत्त, लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड।

(7) समस्त अधिशासी अभियन्ता (आहरण वितरण अधिकारी/कार्यालयध्यक्ष), प्रान्तीय/निर्माण/अस्थाई/वि0यॉ0/राष्ट्रीय राजमार्ग/ए0डी0बी0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड।

प्रभारी प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड देहरादून।
14.9.2018 14.9.2018

I.T
upload करें।
2019/18
(देवेन्द्र शाह)
अधिशासी अभियन्ता